

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा
ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ो के
लिए संपर्क करें
9511151254

@swatantraprabhatmedia

9511151254

epaper.swatantraprabhat.com

@SwatantraPrabhatonline

news@swatantraprabhat.com

लखनऊ से प्रकाशित एंव सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, हमीरपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर,

धनंजय सिंह की जमानत नंगूट। लेकिन नहीं लड़ पाएंगे लोक सभा का चुनाव...08

लखनऊ, दिवार, 28 अप्रैल 2024

वर्ष 05, अंक 208, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपया

www.swatantraprabhat.com

प्रयागराज, बांदा, महोबा, मिर्जापुर, भद्रोही, ललितपुर, झारखण्ड, दिल्ली, बिहार, उत्तराखण्ड आदि जनपदों में प्रसारित

गोरत आ रहे जहाज पर लाल सागर में निसाइल अटैक...12

सूरत चुनाव- किसी को वोट देने के लिए उसका वोट मांगना भी ज़रूर- पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक

धोषित कर दिया गया।

मालूम हो कि अशोक लवासा ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचरण सहित उल्लेख मामले में प्रधानमंत्री ने दो और गृहमंत्री असित शर्मा के भाषणों को लेकर बलौन चिट दिये जाने पर सहमत नहीं थे।

हालिया लेख में लवासा ने सवाल किया है, 'क्या भारत का चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्र को किसी व्यक्ति को फिर से चुनने के लिए बाध्य कर सकता है जैसा कि तब होता है, जब सरकारी खेड़ में कोई बोली ही प्राप्त नहीं होती?' जात हो कि सूरत संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उमीदवारों को निविरोध चुना गया है, यहां कुछ उमीदवारों का नामांकन खारिज हो गया था और कुछ ने अपनी उमीदवारी वापस ले ली थी।

मौजूदा व्यवस्था को लेकर आए कानूनों की गहराई से चर्चा करते हुए लवासा ने जोड़ा कि अब एक व्यक्ति जिसके पास 'एक भी वोट नहीं है, वह दो निवाचन क्षेत्र में बैठेंगे' और से कानून बनाने के बावजूद संसद में बैठेंगे।

लवासा का कहना है कि जब कोई मुकाबला नहीं होता तो मतदाता को ही परेशानी होती है। उनका कहना है कि किसी को आपका वोट पाने के लिए आपसे वोट मांगना होगा। जो कहते हैं कि सिर्फ प्रक्रिया के लाभ के लिए सिस्टम ऐप्सी स्थिति में चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों का पक्ष नहीं ले सकता।

उन्होंने आगे कहा कि लोगों की इच्छा को सिस्टम के फायदे से बदल दिया जाता है। ये पूछते हुए कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व किन करेगा जिन्होंने प्रक्रिया में खांग नहीं लिया, उन्होंने जोड़ा कि यह काफी विशेषज्ञता है क्योंकि लोकतंत्र को 'लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार' के रूप में परिभाषित किया गया है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉक्सोंवर की प्रणाली आदर्श नहीं होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस नहीं होती है।

लवासा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नोटा विकल्प और फर्स्ट-पार्ट-ड-पोर्ट प्रणाली की खिलों के पक्ष और विश्वास में तक देते हुए कहते हैं कि वॉ

